न्यायालय उपखंड अधिकारी लूनकरणसर

बअदालत – संजीव कुमार, आर. ए. एस.
राजस्व वाद संख्या – 2022/204

1. श्री इन्द्राज पुत्र श्री गंगाराम जाति जाट निवासी सुरनाणा तहसील लूनकरनसर जिला बीकानेर।

– वादी

बनाम

1. ख्यालीराम पुत्र लाधुराम जाति जाट निवासी सुरनाणा तहसील लूनकरनसर जिला बीकानेर।
2. भादरराम पुत्र गंगाराम जाति जाट निवासी सुरनाणा तहसील लूनकरनसर जिला बीकानेर।
3. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार लूनकरणसर

–प्रतिवादीगण

दावा बाबत घोषणात्मक रिकॉर्ड दुरूस्ती
दावा अन्तर्गत धारा 88 आर टी एक्ट एवं धारा 136 एल आर एक्ट

उपस्थित –

1. श्री रामकरण मूण्ड वकील वादी
2. पैरोकार राज

–:निर्णयः–

दिनांक :– 25/08/2023

संक्षेप में इस प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने दावा अन्तर्गत धारा 88 आर टी एक्ट एवं 136 एल आर एक्ट पेश कर निवेदन किया है कि वादी के नाम संयुक्त खातेदारी भूमि मौजा रोही शरह हमीरवास तहसील लूनकरनसर के खसरा नम्बर 24 तादादी 6.6900 हैक्टेयर बारानी खातेदारी भूमि राजस्व रिकार्ड मे सुयक्त खाता मे विधिवत दर्ज है। जिसमे वादी का हिस्सा 1/4 दर्ज रिकार्ड है। सहबन से वादी का नाम इन्द्राज की जगह रेवन्तराम दर्ज कर दिया गया जो सहज लिपिकीय भूलवंश दर्ज हुआ है। जिसे दुरूस्त करवाने हेतु राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 एवं राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत घोषणात्मक वाद एवं रिकॉर्ड दुरूस्ती हेतु निवेदन किया। वाद दर्ज रजिस्टर कर स्टेट जरिये तहसीलदार राजस्व लूनकरणसर को समन जारी किये गए। वादगत भूमि का सहबन से वादी का नाम इन्द्राज की जगह रेवन्तराम लिख दिया गया जबकी वादी का वास्तविक नाम इन्द्राज है। जिसके साक्ष्य मे दस्तावेज शपथ पत्र, आधार कार्ड, चुनाव पहचान पत्र, ग्राम पंचायत सुरनाणा का प्रमाण पत्र, राशन कार्ड आदि दस्तावेज पेश किए है।

उपखण्ड अधिकारी
लूणकरणसर

पैरोकार राज तहसीलदार राजस्व लूनकरणसर ने वादी द्वारा प्रस्तुत रिकॉर्ड का अवलोकन उपरान्त वांछित दुरूस्ती की घोषणा किये जावे तथा उक्त दुरूस्ती से स्टेट को कोई हानि नहीं जरिये जवाब कहा गया। प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा स्वयं उपस्थित होकर शपथ पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थना पत्र स्वीकार करने मे कोई आपत्ति जाहिर नहीं की है। प्रतिवादी संख्या 1 तामिल इन्कारी के साथ समन प्राप्त शामिल मिसल है इसलिये प्रतिवादी संख्या 1 विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई। तत्पश्चात वकील वादी ने अपनी बहस में दावा मीमो के कथनों को दोहराते हुए कथन किया कि वादगत भूमि मौजा रोही शरह हमीरवास तहसील लूनकरनसर के खसरा नम्बर 24 तादादी 6.6900 हैक्टेयर बारानी खातेदारी भूमि राजस्व रिकार्ड मे सुयक्त खाता मे विधिवत दर्ज है। जिसमे वादी का हिस्सा 1/4 दर्ज रिकार्ड है। सहबन से वादी का नाम इन्द्राज की जगह रेवन्तराम दर्ज कर दिया गया जो कहज लिपिकीय भूलवंश दर्ज हुआ है। प्रस्तुत साक्ष्यों के अधार पर वादी का नाम रेवन्तराम की जगह इन्द्राज दुरूस्त करने की डिक्री प्रदान करे।

हमने उभयपक्ष को सुना एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया पत्रावली में उपलब्ध सरपंच ग्राम पंचायत सुरनाणा की तस्दीक, शपथ पत्र , आधार कार्ड, राशन कार्ड आदि के आधार पर स्पष्ट होता है कि वादी का सही नाम इन्द्राज है। जिसकी पुष्टि उपरोक्त दस्तावेजो से होती है। अतः वाद वादी स्वीकार किया जाता है कि वादगत भूमि मौजा रोही शरह हमीरवास तहसील लूनकरनसर के खसरा नम्बर 24 तादादी 6.6900 हैक्टेयर बारानी खातेदारी भूमि राजस्व रिकार्ड मे सुयक्त खाता मे विधिवत दर्ज है। जिसमे वादी का हिस्सा 1/4 दर्ज रिकार्ड है जिसमे वादी का नाम रेवन्तराम की जगह इन्द्राज दुरूस्त करने की घोषणा की जाती है। पर्चा डिक्री जारी हो। निर्णय की एक प्रति तहसीलदार लूनकरणसर को पालनार्थ भिजवाई जावें। अतः उक्त दुरूस्ती का अंकन किया जावे।

यह निर्णय आज दिनांक 25/08/2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर जलसाआम में सुनाया गया।

(संजीव कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
लूनकरणसर

उपखण्ड अधिकारी
लूनकरणसर

डिगरी बमुकदमें इब्तदाई

(ओ 21 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत : उपखण्ड अधिकारी, लूनकरनसर

ब इजलास : संजीव कुमार,आरएएस

इन्द्राज   बनाम   ख्यालीराम वगै

दावा अंतर्गत धारा 88 आरटीए, धारा 136 एलआरएक्ट

मुकदमा नम्बर : 204/2022

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी **वादी,** मिनजानिब मुदई **पैरोकारराज राज्य की ओर से** मिनजानिब मुदायलाह पेश होकर हुकम दिया जाता है कि वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर घोषणा की जाती है कि भूमि मौजा रोही शरह हमीरवास तहसील लूनकरनसर के खसरा नम्बर 24 तादादी 6. 6900 हैक्टेयर बारानी खातेदारी भूमि राजस्व रिकार्ड मे सुयक्त खाता मे विधिवत दर्ज है। जिसमे वादी का हिस्सा 1/4 दर्ज रिकार्ड है जिसमे वादी का नाम रेवन्तराम की जगह इन्द्राज दुरूस्त करने की घोषणा की जाती है।

नीज ....- ....मुबलिक ....- ....बाबत खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर .... -......................... फीस सदी सालाना आज की तारीख से वसूल याबो तक ....-...................... को अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से मजमाआम में आज दिनांक 25/08/2023 को न्यायालय हाजा में डिक्री जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी
लूनकरनसर